

I/106865/2023

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं० 300/2023

रेलवे बोर्ड के पत्र सं० PC/V/2009/ACP/2 दिनांक 10.06.09 (RBE No. 01/2009) तथा PC/2016/MACP/1 दिनांक 19.12.2016 (RBE No. 155/2016) एवं (RBE No. 87/2018) द्वारा जारी MACP योजना के तहत सुयोग्यता जाँच में सफल एवं DAR/SPE/Vig. कक्षा से मुक्त होने के उपरान्त प्रनियुक्ति पर रेलवे भर्ती बोर्ड, मुज० में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दशाये गये ग्रेड पे/लेवल में वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करते हुए वित्तीय उन्नयन की देय तिथि से वेतन निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है-

क्र० सं०	नाम/सर्वश्री	पदनाम, लेवल एवं कार्यस्थल	वित्तीय उन्नयन दिये जाने के पूर्व वेतन		वित्तीय उन्नयन के काल-चरूप निर्धारित वेतन		उन्मुक्ति
			तिथि	वेतन (रु०) एवं लेवल	तिथि	वेतन (रु०) एवं पे लेवल	
1	नीरज कुमार	निजी सचिव-II लेवल-7 आरआरबी/मुज०	01.07.23	66000/- लेवल-7	28.10.23	68000/- लेवल-8	तृतीय वित्तीय उन्नयन

यदि कर्मचारी चाहें तो नियम 1313 आर-II एवं RBE No. 90/2016 दिनांक 28.07.2016 के पैरा 10 के तहत वित्तीय उन्नयन पर वेतन निर्धारण हेतु एक माह के अंदर विकल्प दे सकते हैं। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

Digitally Signed by Manoj

Ku Choudhary

Date: 10/11/2023 17:36

Reason: Approval

कृत महाप्रबंधक/का०/हाजीपुर

Date: 10-11-2023

E Office file No.ECR-HQ0PERS(ESTP)/12/2023

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

- > प्रविस/पूमरे/हाजीपुर
- > निजी सचिव-II/मुकाधि (प्रशा०)/पूमरे/हाजीपुर
- > अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड/मुज०
- > सकाधि/बिल/पूमरे/हाजीपुर
- > संबंधित कर्मचारी
- > अभिलेखप्रति